अध्याय–III

लेन देनों की लेखा परीक्षा

3.1 राजस्व क्षति

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में यथा निर्धारित दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली ठेकेदारों से न करने के कारण शासन को ₹ 5.95 लाख के राजस्व क्षति।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899[17] के अनुसार ठेकेदार को संविदा अनुबन्ध पर प्रति एक हजार रूपये पर ₹ 80.00 की दर से स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना था।

नगर पालिका परिषद चरखारी जनपद महोबा तथा नगर पंचायत कछला, जनपद बदायूं के अभिलेखों की संवीक्षा से स्पष्ट हुआ (नवम्बर 2009, मार्च 2010) की वर्ष 2006–09 के दौरान निर्माण कार्यो के विभिन्न मदों के लिए जिसमें तालाब में मत्स्य पालन, वाहन पार्किंग आदि शामिल थे, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चरखारी जनपद महोबा द्वारा ठेकेदारों को ₹ 59.59 लाख की सात संविदायें दी गयीं। पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन इन संविदा अनुबन्धों पर ठेकेदार को लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना था, निर्धारित दरों पर नगर पालिका परिषद चरखारी जनपद महोबा के साथ ₹ 4.77 लाख के स्टाम्प पत्र पर अनुबन्ध किया जाना था। तथापि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ने मात्र ₹ 0.02 लाख **(परिशिष्ट–3.1)** के स्टाम्प पत्र पर ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध गठित किया जिससे शासन को ₹ 4.75 लाख के राजस्व की क्षति हुई। दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कछला जनपद बदायूं ने वर्ष 2007–10 के दौरान वाहन पार्किंग के लिए ₹ 15.03 लाख की संविदायें, ठेकेदारों को उनके साथ बिना किसी अनुबन्ध के स्वीकृत की, जिससे ₹ 1.20 लाख के राजस्व की क्षति हुयी।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चरखारी, जनपद महोबा एवं नगर पंचायत कछला जनपद बदायूं ने अवगत कराया (नवम्बर 2009, मार्च 2010) कि स्टाम्प शुल्क वसूल किया जायेगा।

इस प्रकार भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्राविधानों का पालन न किये जाने से शासन को करेत्तर राजस्व के रूप में ₹ 5.95 लाख की राजस्व हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था (अप्रैल 2010)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित (मई 2011) था।

[17] अनुच्छेद–23 एवं 35 बी, अनुसूची –1बी एवं परिशिष्ट–2 के मद सं0–105

3.2 अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

लेखा संहिता एवं वित्तीय नियमों के प्राविधानों का अनुपालन न होने के कारण ₹ 9.49 करोड़ के अग्रिमों का समायोजन न हो पाना।

नियमानुसार[18] कर्मचारियों को प्रदत्त अस्थाई अग्रिमों का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक, जिसमें धनराशि का अग्रिम दिया गया है, अपेक्षित था। आहरण संवितरण अधिकारी अग्रिमों के समायोजन/वसूली के लिए उत्तरदायी होता है।

अलीगढ़ तथा वाराणसी नगर निगमों के अभिलेखों की समीक्षा (जनवरी–2010) से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 1971–09 के दौरान **(परिशिष्ट–3.2)** नगर निगमों द्वारा कर्मचारियों/विभागों को विभिन्न उद्देश्यों, जैसे विटुमिन–क्रय, ब्लीचिंग पाउडर क्रय, भार जांच, प्रतिदर्श जांच, पिछड़े क्षेत्रों का विद्युतीकरण आदि, के लिए ₹ 9.49 करोड़ का अग्रिम दिया गया। तथापि सम्बन्धित आहरण संवितरण अधिकारियों ने अकर्मण्यतावश इन अग्रिमों की वसूली/समयोजन हेतु अन्वीक्षण नहीं किया। फलतः 39 वर्षो की समाप्ति के पश्चात भी यह अग्रिम न तो नगर निगमों के लेखा अभिलेखों में समायोजित हुआ और न ही कर्मचारियों से उसकी वसूली हुई।

उत्तर में सम्बन्धित नगर निगमों के नगर आयुक्तो ने (जनवरी 2010) बताया कि अग्रिमों के समायोजन हेतु कार्यवाही की जायेगी। यद्यपि कि यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिना समायोजना/वसूली के ऐसी विशाल धनराशि पड़ी रखना न केवल राज्य वित्तीय नियमों का गम्भीर उल्लंघन है अपितु दुर्विनियोजन के खतरे से भी युक्त है।

इस प्रकार संहिता के प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण दीर्घकाल से ₹ 9.49 करोड़ का समायोजन/वसूली के लिए लम्बित पड़ा रहा।

प्रकरण (जून 2010) शासन को प्रतिवेदित किया गया था। जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2011)।

3.3 भूखण्डों के विकास पर अलाभकारी व्यय

भूखण्ड विकास कार्य में मितव्ययिता के सुनिश्चयन के अभाव में उन पर ₹ 8.32 लाख का अलाभकारी व्यय किया जाना। इसके अतिरिक्त सेवाकृत स्थल विकास योजना का लक्ष्य भी अप्राप्त रहना

सेवाकृत आवासीय स्थलों की बढ़ती उपलब्धता तथा नियोजित एवं सुन्दर स्थलीय विकास के सिद्धान्तों के उन्नयन की दृष्टि से (वर्ष 1979–80) लघु एवं मध्यम वर्गीय नगरों के समग्र विकास हेतु भारत सरकार ने एक योजना प्रारम्भ की थी।

नगर पंचायत मगहर, जनपद संतकबीनगर के अभिलेखों की समीक्षा (जनवरी 2010) से स्पष्ट हुआ कि उसने भारत सरकार से पूर्वोक्त योजनान्तर्गत वर्ष 1999–2003 के दौरान 1,605.06

[18] वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 (भाग–1) के प्रस्तर 162 (7) एवं नगर निगम लेखा संहिता के नियम 57 (3)

वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल वाले 13 आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु ₹ 9.01 लाख प्राप्त किये गये। जिलाधिकारी ,संतकबीर नगर की अध्यक्षता वाली सिविल समन्वय एवं अनुश्रवण समिति ने उसकी मितव्ययिता का बिना सुनिश्चत किये ही उसे अनुमोदित कर दिया। नगर पंचायत ने वर्ष 2002–03 के दौरान उसके विकास पर ₹ 8.32 लाख व्यय किया तथा 90 वर्षीय पट्टे के साथ ₹ 750.00 प्रतिवर्गमीटर की दर से उनके निस्तारण का प्रस्ताव दिया। फिर भी उनके विकसित होने के आठ वर्षों के बाद भी इन भूखण्डों का निस्तारण नहीं किया जा सका।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मगहर, संतकबीर नगर ने अपने उत्तर में (जनवरी 2010) बताया कि भूखण्डों का निस्तारण इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि उसी दर पर समीपस्थ क्षेत्रों में फ्रीहोल्ड भूखण्डों की उपलब्धता होने के कारण लोगों ने उनमें अपनी रूचि नहीं दिखायी। उन्होंने यद्यपि उनके निस्तारण के लिए कोई रणनीति भी नहीं बनायी।

इस प्रकार नगर पंचायत क्षेत्र में भूखण्डों के विकास पर, बिना उनकी मितव्ययिता सुनिश्चित किये ही ₹ 8.32 लाख का निवेश कर अलाभकारी व्यय किया। इसके अतिरिक्त सेवित आवासीय स्थलों की उपलब्धता में वृद्धि तथा नियोजित एवं सुन्दर स्थलीय विकास के सिद्धान्त के उन्नयन का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था। (सितम्बर 2010) जिसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (मई, 2011)।

3.4 जेनरेटर क्रय पर अलाभकारी व्यय

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद–बिसौली, जनपद बदायूं की अकर्मण्यता के परिणामस्वरूप एक जेनरेटर सेट के क्रय पर ₹ 7.46 लाख का अलाभकारी व्यय किया जाना।

नगर पालिका परिषद ,बिसौली ,जनपद बदायूं के अभिलेखों की समीक्षा से स्पष्ट हुआ (अगस्त 2009) कि नगर पालिका परिषद बिसौली के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले लोगों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने (अगस्त 2008) की दृष्टि से अधिशासी अधिकारी ने ₹ 7.46 लाख के मूल्य पर 60 किलोवाट क्षमता वाले एक जनरेटर सेट के क्रय का निर्णय लिया। निविदा आमंत्रण के पश्चात एक फर्म को क्रय आदेश निर्गत कर दिया गया, जिसकी आपूर्ति भी सितम्बर 2008 में हो गयी। यद्यपि जेनरेटर सेट क्रय के चार दिनों के अन्दर ही उसे कार्यालयी उपयोग हेतु बदायूं जनपद के कलेक्टर कार्यालय को स्थानान्तरित भी कर दिया गया। समीक्षा से यह भी स्पष्ट हुआ कि परिषद के अधिशासी अधिकारी द्वारा अकर्मण्यतावश उसके वापसी की मांग नहीं, की गयी और इस प्रकार जेनरेटर स्थानान्तरण के दो वर्षो के बीत जाने के बाद भी कलेक्टर परिसर में ही पड़ा रहा।

इस प्रकार परिषद के अधिशासी अधिकारी के अकर्मण्यतावश ₹ 7.46 लाख की लागत वाला जेनरेटर सेट इस उददेश्य के उपयोग में नहीं लाया जा सका जिसके लिए उसका क्रय किया गया था जिससे उसके क्रय पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त बदायूं जनपद के नगर पालिका परिषद बिसौली के निवासी भी जलापूर्ती हेतु जेनरेटर सेट के उपयोग से वंचित रह गये।

(अगस्त 2009) बदायूं जनपद के नगर पालिका परिषद बिसौली के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जेनरेटर सेट वापसी हेतु कार्यवाही की जायेगी। यद्यपि तथ्य यही रहा कि उसकी वापसी हेतु सितम्बर 2008 से कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया है, (अगस्त 2010) जिसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (मई 2011) ।

3.5 निष्क्रिय निवेश

तीन नगर पंचायतों द्वारा निर्मित 32 दुकानों एवं तीन हालों के अनावंटन के परिणामस्वरूप उन पर ₹ 56.92 लाख का निष्क्रिय निवेश।

आर्थिक विकास एवं रोजगार के क्षेत्रीय केन्द्रों को विकसित करने की दृष्टि से लघु एवं मध्यम वर्गीय नगरों में ढांचागत सुविधाओं के सृजन हेतु लघु एवं मध्यम वर्गीय नगरों के समग्र विकास की योजना दी गयी।

नगर पंचायतो मंझनपुर जनपद कौशाम्बी, जनपद कानपुर देहात की अमरौथा तथा सन्तकबीर नगर जनपद की मगहर के अभिलेखों की समीक्षा अक्टूबर 2009, दिसम्बर 2009 एवं जनवरी 2010 से प्रकाश में आया कि ₹ 72.10 लाख की अनुमानित लागत (मंझनपुर–14 दुकानें ₹ 17.33 लाख, अमरौधा–12 दुकानें और तीन हाल ₹ 43.97 लाख, मगहर छः दुकाने ₹ 10.80 लाख) पर पूर्वोक्त योजनान्तर्गत इन नगर पंचायतों में शासन द्वारा 32 दुकानों एवं तीन हालों के निर्माण की संस्वीकृति दी गयी। ₹ 56.92 लाख के व्यय से दिसम्बर 2002 तथा दिसम्बर 2006 के दौरान दुकानों एवं हालों का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ। यद्यपि कि, इन पंचायतों द्वारा न तो स्थलीय सर्वेक्षण कराया गया न ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व औचित्य/आवश्यक्ता का आकलन ही किया गया था। परिणामतः उनके निर्माण के चार से आठ वर्षों के बीत जाने के बाद भी इन दुकानों को लेने वाला कोई नहीं था, इस प्रकार ये अनिस्तारित पड़ी रहीं।

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मंझनपुर ने बताया कि अक्टूबर 2009 में इन दुकानों में लोगों ने इसलिए रूचि नहीं ली क्योंकि इनका निर्माण मुख्य मार्ग से दूर हुआ था। दिसम्बर 2009 में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अमरौधा ने बताया कि दुकानों के आवंटन हेतु प्रयास किये जा रहे थे और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मगहर ने (जनवरी 2010) में

बताया कि लोगों ने दुकानों का आवंटन कराने में अपनी कोई रूचि नहीं दिखायी। सम्प्रेक्षा में उत्तर स्वीकार्य नहीं हुए क्योंकि वास्तविकता तो यही रही कि सृजित ढांचागत सुविधायें अनिस्तारित पड़ी रहीं।

इस प्रकार सर्वेक्षण तथा परियोजना आंकलन के अभाव में 32 दुकानें एवं तीन हाल अनावंटित पड़े रहे, परिणामस्वरूप निर्माण कार्य पर ₹ 56.92 लाख का व्यय निष्प्रयोज्य रहा। इसके अतिरिक्त योजना लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाते हुए जून 2010 से सितम्बर 2010 के मध्य उन्हें प्रतिवेदित कर दिया गया। जिसका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (मई 2011)।

इलाहाबाद
दिनांक

यू.पी. सिंह सिसोदिया
उपमहालेखाकार
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांक

मुकेश पी. सिंह
प्रधान महालेखाकार
(सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश